फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : पुष्पेन्द्र सिंह बनाम विपक्षी : तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 163/22

कार्यवाही विवरण

क्रमांक दिनांक 23.04.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता विपक्षी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से पाया की प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अपनी आराजी के सामने वाली भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर प्रार्थनाग्रस्त भूमि अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का निवदेन किया। उक्त प्रकरण अतिक्रमण से संबंधित हैं जो धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार भीण्डर को यह निर्देश दिए जाते है राजकीय चारागाह भूमि का पूर्व व वर्तमान नक्शा ट्रेस का मिलान करें। यदि राजकीय भूमि की गलत तरमीम पायी जाती है तो धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:22:12 IST
Reason: SelfAttested